फर्द अहकाम

(नियम–26)

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज0)

श्रीमति रतनी बाई पत्नि पेमा भील निवासी आम्बा, पंचायत भैंसरोड़गढ़ तह. रावतभाटा

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

किस्म प्रकरण अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्रकरण संख्या 30/2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.02.2019	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत अपीलान्ट श्रीमति रतनी बाई पत्नि पेमा भील निवासी आम्बा, पंचायत भैंसरोड़गढ़ तहसील रावतभाटा ने सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 27.11.2018 को प्रस्तुत किया। जिस पर अपीलार्थीया को सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीया द्वारा दिनांक 27.11.2018 को सूचना चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर, निर्धारित समय सीमा 30 दिवस में दिनांक 27.12.2018 तक सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की निश्चित समय सीमा 30 दिवस की अवधि के भीतर दिनांक 27.01.2019 तक अपील प्रस्तुत करनी चाहिये थी जो अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। अपीलार्थीया द्वारा अपील प्रस्तुत करने की निश्चित समय सीमा 30 दिवस की कालावधि समाप्त होने के लगभग 17 दिवस के पश्चात् दिनांक 13.02.2019 को अपील प्रस्तुत की है एवं अपीलार्थीया द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का पर्याप्त/कोई कारण भी अंकित नहीं किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपील ग्रहण योग्य नहीं होने से अपील अपीलार्थीया खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। (शिवांगी स्वर्णकार) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़ (राज.)	